

उत्तराखण्ड शासन

श्रम अनुभाग

संख्या: --- / VIII / 18-27(श्रम) / 2017  
देहरादून, दिनांक: 14 जनवरी, 2018

अधिसूचना

श्री राज्यपाल, भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996, (केन्द्रीय अधिनियम संख्या: 27 वर्ष 1996) की धारा 4 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा विनियमन) नियमावली, 2005 के नियम-10 के अनुसार राज्य सलाहकार समिति को निम्नानुसार गठित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

- |  |                |
|--|----------------|
| 1. मा.श्रम मंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन।                     | - अध्यक्ष      |
| 2. श्रीमती ऋतुभूषण खण्डूरी, विधायक, यमकेश्वर, पौड़ी गढ़वाल | - सदस्य        |
| 3. श्रीमती मीना गंगोला, विधायक, गंगोलीहाट, पिथौरागढ़।      | - सदस्य        |
| 4. मुख्य निरीक्षक, भवन एवं सन्निर्माण निरीक्षण             | - सदस्य (पदेन) |
| 5. मुख्य निरीक्षक, कारखाना और ब्वाइलर                      | - सदस्य (पदेन) |

2. समिति के शेष अन्य सदस्यों के नामांकन पृथक से निर्गत किये जायेंगे।
3. उक्त नियमावली के नियम 11 के अन्तर्गत उक्त समिति के अध्यक्ष तथा अन्य सदस्य, राजपत्र में यथा अधिसूचित उनकी नियुक्ति की तारीख से तीन वर्ष की अवधि तथा उत्तराखण्ड राज्य विधान सभा के सदस्यों के संबंध में तीन वर्ष के लिये या उत्तराखण्ड विधान सभा का सदस्य बने रहने तक, उसमें जो भी पहले हो, पद धारण करेंगे।

(हरबंस सिंह चुघ)  
प्रभारी सचिव।


संख्या :- 100 (1) / VIII / 18-27(श्रम) / 2017, तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. समिति के समस्त पदाधिकारीगण।
2. श्रमायुक्त, उत्तराखण्ड हल्द्वानी।
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4. वरिष्ठ प्रमुख निजी सचिव, मा. श्रम मंत्री, उत्तराखण्ड को मा.मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
5. समस्त अपर/उप/सहायक श्रमायुक्त, उत्तराखण्ड।

4. अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रुड़की (हरिद्वार) को इस आशय के साथ प्रेषित कि वे उक्त अधिसूचना को आगामी असाधारण राजपत्र में प्रकाशित करते हुए 150 प्रतियां शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
7. भाषा अनुभाग, उत्तराखण्ड सचिवालय।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

  
(जी.एन.पन्त)  
उप सचिव।